Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 12 | SPECIAL ISSUE DECEMBER-2024

उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित अनुदान प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं (B.Ed.Colleges) की विकासकी वस्तुस्थिति ज्ञात करने का विश्लेष्णात्मक अध्ययन

प्रियंका सैनी	अनुसंधान विद्वान, शिक्षा विभाग, जिज्ञासा विश्वविद्यालय (पूर्व में हिमगिरी जी विश्वविद्यालय).
डॉ. चारु शर्मा	विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जिज्ञासा विश्वविद्यालय (पूर्व में हिमगिरी जी विश्वविद्यालय).

ABSTRACT:

शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं| इस प्रयास में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा सुनियोजित हो| इसी कारण प्रशिक्षार्थियों को अध्यापन का कुशल प्रशिक्षण देना अनिवार्य है| जिन महाविद्यालयों में इन प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर योग्य अध्यापक बनाया जायेगा उन महाविद्यालयों की वस्तुस्थिति ज्ञात करना अनिवार्य है| सरकार द्वारा अनुदान प्रदान महाविद्यालयों की वस्तुस्थिति को ज्ञात करने हेतु शोधार्थिनी ने स्वनिर्मित प्रश्नावली तथा आवश्यक शोध क्रियाओं का प्रयोग किया है| शोध क्रियाओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात हुआ कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित सरकार द्वारा अनुदान प्रदान अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं (B.Ed Colleges) की विकास की वस्तुस्थिति सामान्य है |

KEYWORDS:

-

प्रस्तावना:

शिक्षा की उन्नति अध्यापकों पर निर्भर करती है। अतः शिक्षा के लिए योग्य तथा कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अध्यापक के अभाव में शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिक्षक संघ की कॉन्फ्रेंस के अनुसार,- "अच्छा अध्यापन अच्छे षिक्षकों पर निर्भर करता है, अध्यापक की गुणात्मक उन्नति करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।" श्री एम. सी. द्वांगला के अनुसार, "प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षकों की सहायता के अभाव में कोई भी शिक्षाक्रम उन्नति नहीं कर सकता है। योग्य शिक्षकों का देश एक उज्जवल भविश्य का देश है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अध्यापक शिक्षा की उन्नति बड़ी तेजी से हुयी। सन् 1949 में प्रशिक्षण विद्यालयों की कुल संख्या 48 थी, जिनमें 4761 छात्र तथा छात्राएं अध्ययनरत थे। सन् 1981 तक इन 46808 हो चुकी थी। सन् 1925 तक समस्त भारत में सभी प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 331 हो गयी, और छात्र संख्या में भी वृद्धि हुयी।

आधुनिक समय में बेहतर समाज के निर्माण के लिए अध्यापक शिक्षा के विकास के साथ - साथ उसकी गुणवत्ता को भी निखारने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अध्यापक ही नये समाज का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इस कारण उन्हें बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र अध्यापक शिक्षा की महत्ता को जानकर उसको प्राप्त करे। यह तभी सम्भव है जब न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाय। क्योंकि निजी संस्थानों में अत्यधिक शिक्षण षुल्क होने के कारण सभी छात्र उसको ग्रहण कर पाने में सक्षम नहीं होते। अतः सरकार को चाहिए कि सरकारी अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेजों की अधिक से अधिक स्थापना की जाय, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में छात्रों को अध्यापक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

अतः अध्यापक शिक्षा की गुणवता को बेहतर बनाने के लिए अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार का है, जिनका सम्बन्ध कक्षा - शिक्षण से है। कक्षा शिक्षण की गुणवता से ही अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती हैं। इन व्यवहारिक सुझावों को सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों रूपों में दिया गया है।

सैद्धान्तिक सुझाव- अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सैद्धान्तिक सुझावों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है -

(i) अध्यापक प्राध्यापक को कक्षा शिक्षण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा उस पर चिन्तन करके तब उसे समस्याएं और शिक्षण की कठिनाइयों की अनुभूति होने लगेगी और उनका समाधान भी कर सकेगा।

(ii) विचार गोश्ठियों, सम्मेलनों आदि में पहले प्राध्यापकों को अवसर दिया जाए, तत्पष्चात विशय विशेषज्ञों को उनकी शंकाओं एवं प्रश्नों का उत्तर देकर प्रकरण पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए।

(iii) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में उन्हीं पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया

जाए, जिनका कक्षा शिक्षण से सीधा सम्बन्ध हो और सेवाकाल में उनका उपयोग भी हो।

व्यवहारिक सुझाव- अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में व्यवहारिक सुझावों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है-

(i) अध्यापक- प्राध्यापक को अपनी परिस्थिति के अनुरूप् ही परिवर्तन तथा सुधार करना होगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में है और उसके चिन्तन पर आधारित है।

(ii) अध्यापक शिक्षा में जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है। उसके लिये राज्य सरकार का आदेश तथा राश्ट्रीय शिक्षा परिशद के मानकों का अनुसरण किया जाता है।

हाल के सालों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले के समय में शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं की काफी कमी थी परंतु अब स्थिति काफी बदल चुकी हैं। अब अपको अपने घर के पास ही स्कूल या कॉलेज भी मिल जायेंगे। ये कॉलेज एक दूसरे से कई मायनों में भिन्नता रखते हैं और इस भिन्नता की मुख्य वजह इनका अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त कॉलेज होना है।

अनुदान प्राप्त कॉलेज क्या हैं?

जिन कॉलेज को सरकार से सहायता मिलती है उसे सहायता प्राप्त कॉलेज या aided college कहा जाता है। इस तरह के कॉलेजों को सरकार की तरफ से काफी सहायता प्राप्त होती है और सरकार की ही इन कॉलेजों के विकास की मुख्य जिम्मेदारी होती है। सहायता प्राप्त कॉलेजों को बुनियादी ढांचे के विकास, शैक्षणिक गतिविधियों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार से अनुदान मिलता है।

सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लेने के लिए बाध्य है। आम तौर पर, सहायता प्राप्त कॉलेजों की फीस संरचना गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों की तुलना में उचित होती है। एक अनुदान प्राप्त कॉलेज में अधिकांश छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया योग्यता के माध्यम से होती है। साथ ही, प्रत्येक प्रोफेसर और पेशेवर के लिए आवश्यक मानक योग्यता सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

गैर अनुदान प्राप्त कॉलेज क्या हैं?

जिस कॉलेज को सरकार से कोई फंड या सहायता नहीं मिलती है उसे गैर अनुदान प्राप्त कॉलेज या unaided college कहा जाता है। गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता है। वे अक्सर बाहरी मदद के लिए निजी सोसायटी या संगठनों से जुड़े होते हैं।

एक गैर सहायता प्राप्त कॉलेज में, प्रबंधन द्वारा शिक्षकों और अन्य पेशेवरों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वे भर्ती प्रक्रिया का भी ध्यान रखते हैं और मानदण्ड निर्धारित करते हैं। गैर सहायता प्राप्त कॉलेज स्वायत्त हैं, क्योंकि उनके पास कोई दायित्व नहीं है इसलिए वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों की फीस संरचना में बहुत ज्यादा होती और वे फीस संरचना में हमेशा बदलाव भी करते रहते हैं। इन्हें आप private colleges भी कह सकते हैं जहां सरकार का हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर होता है। हालांकि इन के द्वारा मनमानी फीस लेने पर अक्सर लोगों के बीच से आवाज उठती रहती है। कई बार यह भी सुनने को मिला कि इनके लिए भी कानून बनाएं जाएंगे पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसी कारण से लगातार ये निजी संस्थान अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनचाही फीस वसूल करके शिक्षा का व्यापार चला रहे हैं।

भारत के कई ऐसे राज्य हैं जैसे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा इत्यादि जो धीरे -धीरे इस तरह के कॉलेजों को सरकार के ही अंतर्गत लाने का कार्य कर रहे हैं। इन सरकारों का मानना है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान सरकार से भी फण्ड लेते हैं पर उसका सदुपयोग नहीं होता है। इन राज्य सरकारों का मानना है कि अब सरकारी शिक्षण संस्थानों को प्रदान की जा रही शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या अनुदानित कॉलेज किसी मायने में गैर अनुदानित कॉलेज से बेहतर हैं। तो उसका उत्तर है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों या शिक्षण संस्थानों में फीस काफी कम होती है। परन्तु बात करें सुविधाओं की तो अभी भी ये गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों से काफी पिछड़ी हैं। हालांकि, देश के विभिन्न हिस्सों में कई ऐसे सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं जो काफी बेहतर हैं परन्तु पूरी तस्वीर अभी अच्छी नहीं है।

दूसरी तरफ अगर बात करें शिक्षा की गुणवत्ता की तो इसमें भी वर्तमान परिदृश्य के मुताबिक गैर अनुदानित कॉलेज ही बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। परन्तु कई ऐसे सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं जिनकी शिक्षा गुणवत्ता बहुत ही बेहतरीन है। इसी कारण समाज में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनुदानित कॉलेजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छात्र अध्यापक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

कठिन शब्दों का परिभाषीकरण:

अनुदान प्राप्त - जिन महाविद्यालयों को सरकार से सहायता मिलती हैंए उन महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त कहा जाता हैद्य इस प्रकार के महाविद्यालयों को सरकार की ओरसे काफी सहायता प्राप्त होती है तथा सरकार ही इन महाविद्यालयों के विकास की मुख्य उत्तरदायी होती हैद्य

प्रशिक्षण - प्रशिक्षण व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल में सुधार करने में

सहायता करता हैद्य जबकि शिक्षा कक्षा में या किसी शैक्षिक केंद्र में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के विषय में हैद्य प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से एवं शीघ्रता से किया जायेद्य

साहित्य समीक्षा -

(1) ग्रीक जोन (2008):- सन् 2008 में तंत्रिका तंत्र से सम्बन्धित तथ्यों पर शोध किया। बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम दावा करते हैं किवे मस्तिश्क पर आधारित है परन्तु इसके बावजूद तंत्रिका तंत्र समूह की दलीलों के आधार पर इन सब भ्रम का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है।

उद्देश्य - इस शोध का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त मस्तिश्क से सम्बन्धित भ्रमों पर वैज्ञानिक और शैक्षिक दृश्टि से प्रकाश डाला गया है। जैसे मस्तिश्क का मात्र 10 प्रतिशत ही प्रयोग होना, दायें और बाएं मस्तिश्क से सोचना इत्यादि।

परिणाम - इस शोध का वास्तविक परिणाम यह निकला कि शिक्षकों को कोई भी मस्तिश्क आधारित वस्तुओं को कक्षा में प्रयोग करने से पहले उनकी स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक वैधता की जांच करना आवश्यक होता है।

(2) क्रिस्टीन, स्लीटर (2014):- यह शोध उन शोधकर्ताओं पर किया गया जो फिलहाल शोध कार्यक्रम में संलिप्त हैं।

उद्देश्य - इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यापक शिक्षा तब तक प्रभावहीन रहेगी जब तक संदेह में निहित नीतियों के बारे में चिंता ठीक से नहीं होगी।

परिणाम - इस शोध के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि एक प्रतिशत बड़े पैमाने पर मिश्रित विधियां हैं जो केवल 06 प्रतिशत अध्यापक शिक्षा पर शिक्षण अभ्यास का असर पड़ता है। यह लेख इस बात की पुष्टि करता है कि शोधकर्ता वर्तमान में किस हद तक एक साझा शोध कार्यक्रम में लगे हुए हैं जो शिक्षक पेशेवर शिक्षा के लिए संगठित स्थानों (पूर्वसेवा के साथ साथ सेवाकालीन) के कक्षा प्रभाव का व्यवस्थित प्रमाण प्रस्तुत करता है।

(3) कोचरण स्मिथ मैरोलिनए कैनेडी मैथीयूए पी मैक इचने कारा क्रिस्टिन, पीटर मिशेल (२०१२) -

यह शोध शिक्षकों की शिक्षा तथा परिणाम एवं अनुसन्धान क्षेत्र का मानचित्रण के सम्बन्ध में हैं।

उद्देश्य - इस लेख का उद्देश्य अनुभवजन्य शोध शिक्षकों की शिक्षा और परिणामों का वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है जो इसे आकार देने वाले राजनीतिक विवादों तथा वाद विवादों से जुड़ा हैद्य अनुसन्धान शैलियों की अवधारणा का उपयोग करते हुए लेख दो प्रश्नों को संबोधित करता है।

निष्कर्ष / परिणाम - समीक्षा से ज्ञात होता है कि 6 अलग अलग शैलियाँ हैं जो शिक्षकों की शिक्षा और शिक्षा के बाद के परिणामों के बीच संबंधों की जांच करती हैं: कुछ विधाएं मुख्या रूप से छात्रों की उपलब्धि से सम्बंधित परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करती हैं, जबकि अन्य मुख्या रूप से शिक्षक सीखने से सम्बंधित परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करती हैं।

(4) वीनर लोइस (२००२) - यह शोध अध्यापक शिक्षा में साक्ष्य एवं पूछताछ से सम्बंधित है तथा शेहरी विद्यालयों के लिए क्या आवश्यक है द्य देश के पब्लिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

उद्देश्य- प्रस्तुत लेख में शोधकर्ता का सहूलियत बिंदु हमारे देश के शहरों में पब्लिक स्कूलों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता है द्य हालाँकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शहरी शिक्षा एक संकट के बीच में है," मैं फ्लोरियो-रूटन (2002) से पूरे दिल से सहमत हूँ कि शोध पर रखी गयी मांगों की तात्कालिकता को हमारे उत्तरों की जटिलता को कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध से शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि, जैसा कि बोरदियो (१९९८) ने देखाए बुद्धिजीवियों के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं। श्स्वतंत्र सत्ता में रहने वालों के सम्बन्ध मेंए प्राप्त विचारों की आलोचना," समस्यायोंकी जटिलता के लिए सम्मान तथा फ्लोरियो-रूटन ने जटिलता को ध्यान में रखते हुए और उन क्षेत्रो में प्रकाश डाला जहाँ हम वर्तमान में जानकारी की तलाश नहीं कर रहे हैं ।

(5) बोरको हिल्डा, लिस्टन डेन, व्हिटकोंब ए जेनिफ़र (2007) -

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने शिक्षक शिक्षा में अनुभवजन्य अनुसन्धान की शैलियों पर प्रकाश डाला है।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा पर अनुभवजन्य शोध से समबन्धित जो समस्याएं हैं उनको उजागर किया गया हैद्य समयए खर्च आदि परेशानियों पर भी विचार किया गया है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध में कहा गया है कि क्या शिक्षक शिक्षा पर अनुभवजन्य शोध वास्तव में इतना बुरा है। आलोचक इसकी असंगत गुणवत्ता और क्षेत्र की कुछ सबसे विकराल समस्याओं के प्रति आश्वस्त रूप से प्रतिक्रिया करने में असमर्थता की निंदा करते हैंए इसी समय शिक्षक शिक्षा अध्ययन का एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। जिन लोगों ने इसके विकास कापता लगाया है, वे मानते हैं कि शिक्षक शिक्षा पर कठोरए बड़े पैमाने पर शोध करना कठिन समय लेने वाला एवं खर्चीला है ।

(6) टेरेसा टेटो मारिया, रिचमंड गेल, जे कार्टर एनड्रयूज डोरिंदा (२०१६) -

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने शिक्षक शिक्षा के विकास में जिस शोध की आवश्यकता होती है उन विषयों को उजागर किया।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध का उद्देश्य उन प्रश्नों का समाधान खोजना है जो

अन्य महत्त्वपूर्ण एवं पारस्परिक रूप से अनन्य प्रश्नों के उत्तर देने पर निर्भर करता है जैसे कि - क्या शिक्षक शिक्षा का लक्ष्य उस ज्ञान से निर्देशित होना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इस शोध में शोधकर्ता शिक्षक शिक्षा से सम्बंधित समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध में शोधकर्ताए शिक्षक शिक्षा के लिए एक दृष्टि तथा नैतिक दिशा प्रदान करते हैं और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैंद्य पाठ्यक्रम द्वारा या तैयारी द्वारा जो शिक्षकों को निर्णय लेने के लिए पूछताछ-आधारित अभ्यास में संलग्न होने के लिए तैयार करता है। उनके शिक्षण, उनके विद्यार्थियोंके सीखने के बारे मेंए और उन्हें पेशेवर शिक्षण समुदायों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए (उदाहरण के लिए, साल्ह्वर्ग २०११ द्वारा फ़िनलैंड में प्रलेखित)।

अनुसंधान अंतराल -

समाज में शिक्षकों की आवश्यकता, विकास तथा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी को प्रस्तुत समस्या पर अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अध्ययन का उद्देश्य (Objectives) -

उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित देहरादून जिले में स्थित विश्विद्यालय से सम्बद्ध सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की वस्तुस्थिति का अध्ययन करना।

अवधारणा (Assumption) -

उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित देहरादून जिले में स्थित विश्विद्यालय से सम्बद्ध सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में छब्ज्म् के मानकों का पालन सामान्य है।

जनसंख्या (Population) -

जनसंख्या के रूप में गढ़वाल मंडल के विश्विद्यालय से सम्बद्ध सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं 1) डी.ए.वी.पी.जी. रुड़की तथा 2) गुरु राम राय देहरादून में अध्ययनरत सभी ठण्क प्रशिक्षार्थी लिए गए हैं।

सीमांकन (Delimitation) -

सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थियो को नमूने के रूप में न लेकर, उनको सीमांकित करके लाटरी विधि से 40 प्रशिक्षार्थियों तक सीमित किया है।

न्यादर्श (Sample) -

न्यादर्श के रूप में शोधार्थिनी द्वारा सरकारी महाविद्यालय के 40 B.Ed प्रशिक्षार्थी लाटरी विधि से चुने गए हैं जिनका प्रतिचित्रण निम्नवत प्रदर्शित किया गया है-

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालय	
डी.ए.वी.पी.जी. रुड़की	गुरु राम राय देहरादून
100 छात्र	100 छात्र

अनुसन्धान उपकरण (Research Tool) -

प्रस्तुत शोध में शोधर्थिनी ने नमूनों से आंकड़ा संकलन के लिए स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रश्नावली का निर्माण किया गया है जिसमे वस्तुनिष्ठ प्रश्नो को सम्मिलित किया गया है। प्रश्नावली में 10 प्रश्न सम्मिलित किये गए हैं। धनात्मक उत्तर के लिए 1 अंक तथा ऋणात्मक उत्तर के लिए 0 अंक दिया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के अंको का योग भी प्राप्त किया गया है। उसी के आधार पर प्रतिशत प्राप्त किया गया है। उचित सांखिकीय तकनिकी के माध्यम से विश्लेषण कर अवधारणाओं की पुष्टि कर उद्देश्योंकी प्राप्ति की गयी है।

आंकड़ा संकलन (Data Collection) -

प्रस्तुत शोध में देहरादून जिले में स्थित सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों (B.Ed Colleges) से 40 B.Ed प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली भरवाकर आंकड़े संकलित किये गए हैं। उन आंकड़ो के अनुसार हमें निम्नलिखित ग्राफप्राप्त हुआ है-

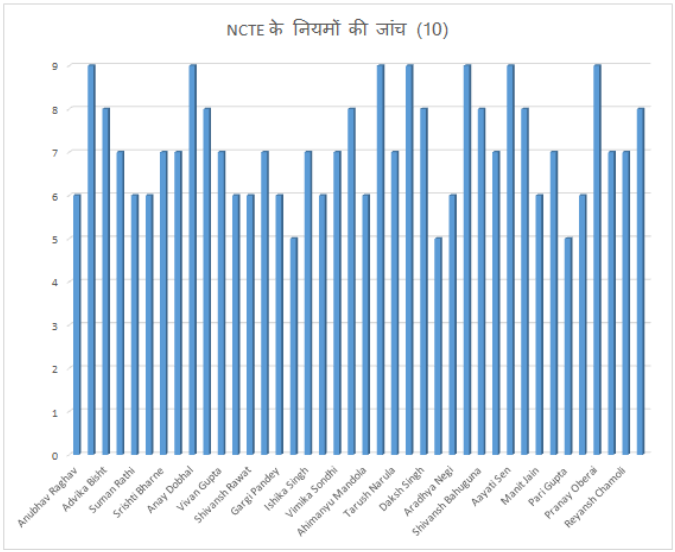

निष्कर्ष (Conclusion) -

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी ने 50 प्रतिशत से अधिक धनात्मक उत्तर प्राप्त करने पर स्थिति को सामान्य माना है। आंकड़ो के विश्लेषण के आधार पर 71 प्रतिशत धनात्मक उत्तर प्राप्त हुए। अतः इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों (बी.एड. कॉलेज) में अध्यापक प्रशिक्षण की वस्तुस्थिति सामान्य है। तथा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता भी सामान्य है।

REFERENCES

1. www.kailasheducation.com
2. https://sarkariguider.in
3. https://en.wikipedia.org
4. https://govtvacancy.net
5. link.springer.com
6. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 21, 101-116,2017
7. BMC medical education 18, 1-10,2018
8. Educational management administration and leadership 43 (1), 5-27, 2015
9. Education sciences 8 92), 73, 2018
10. European Journal of Science and Mathematics Education 9 (1), 1-12, 2021